अध्याय 9

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अध्याय

9

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

9.1 अनुश्रवण

राज्य सरकार ने महाकुम्भ मेला के कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिये पाँच समितियों[1] का गठन (अप्रैल 2012) किया था। निर्माण कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 30 नवम्बर 2012 थी जिसे संशोधित कर 15 दिसम्बर 2012 एवं पुनः संशोधित कर 31 दिसम्बर 2012 की गयी थी। परन्तु कार्यों को 31 दिसम्बर तक भी पूर्ण नहीं किया जा सका था। मुख्य सचिव द्वारा 16 जनवरी 2013 को आयोजित बैठक में स्वीकार किया गया कि सात विभागों के 183 माइलस्टोनों में से 37 को प्राप्त नहीं किया जा सका था जबकि भौतिक एवं वित्तीय अनुश्रवण के लिये विभिन्न स्तरों पर पाँच समितियाँ गठित थीं। महाकुम्भ मेला प्रारम्भ होने तक निर्धारित समयानुसार क्रियान्वयन एजेन्सी/विभाग सभी कार्यों को पूर्ण करने में विफल रहे। उच्चाधिकारियों को निर्माण की वास्तविक स्थिति के बारे में गलत सूचना दी गयी जैसा कि प्रस्तर संख्या 4.2.1 मे उल्लिखित है।

9.1.1 कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये समिति

राज्य सरकार द्वारा मेलाधिकारी की अध्यक्षता में चार[2] सदस्यीय समिति का गठन (अप्रैल 2012) कार्यों के चिन्हीकरण, प्राथमिकता निर्धारण, प्रभावी अनुश्रवण एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु किया गया था। उक्त समिति को प्रत्येक स्तर पर गुणवत्ता सुनिश्चित करना एवं उक्त के सम्बन्ध में प्रतिवेदन मेलाधिकारी/राज्य सरकार को प्रस्तुत करना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि ऐसा कोई अभिलेख नहीं था जिससे यह प्रकट हो कि समिति द्वारा कोई कार्यवाही की गयी थी। न तो समिति की कोई बैठक आयोजित हुई तथा न ही कोई प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रेषित किया गया। अस्तु, समिति के गठन का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ तथा अनुश्रवण अप्रभावी रहा।

शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया (मार्च 2014)।

9.1.2 मेला सलाहकार समिति की बैठक

संयुक्त प्रान्त मेला अधिनियम, 1938 की धारा 5 के अन्तर्गत, ऐसे नियमों[3] के अनुरूप जैसा कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में बनाये, अपने कर्तव्यों के निष्पादन में मेलाधिकारी की सहायता के लिए एक समिति का गठन किया जाना था। मेलाधिकारी के अभिलेखों की जाँच में यह प्रकाश में आया कि महाकुम्भ मेला के लिये मात्र एक बैठक, दिनांक 13 दिसम्बर 2012 को, सूक्ष्म एजेन्डे के साथ जिसमें मात्र चार विषय[4] ही सम्मिलित थे, आयोजित की गयी थी। जब तक उक्त बैठक आयोजित की जाती तब तक एजेन्डे के

[1] समिति की अध्यक्षता (क) माननीय मन्त्री, नगर विकास विभाग, लखनऊ (ख) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ (ग) प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, लखनऊ (घ) मण्डलायुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद तथा (च) मेलाधिकारी, महाकुम्भ मेला–2013, इलाहाबाद।

[2] 1. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद 2. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, इलाहाबाद 3. परियोजना प्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, जल निगम, इलाहाबाद 4. मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के संकाय।

[3] संयुक्त प्रान्त मेला नियम विविध, 1940 के नियम–4 के अनुसार 30 सदस्यीय समिति का गठन होगा जिसमें शासकीय सदस्य 12 से अधिक नहीं होंगे।

[4] 1. महाकुम्भ मेला की प्रगति, 2. मेला क्षेत्र के ले–आउट प्लान का निर्धारण, 3. वाणिज्यिक लाइसेन्स की दरों का निर्धारण एवं अन्य प्रकरणों, और 4. धार्मिक/सामाजिक/स्वैच्छिक संगठनों को भूमि एवं सुविधाओं का आवंटन।

अधिकतर विषयों को अन्तिम रूप दिया जा चुका था और निर्माण कार्य भी पूर्ण होने के समीप थे। हमने पाया कि संस्थाओं को भूमि एवं सुविधायें आवंटित करना एजेन्डे में सम्मिलित था किन्तु उक्त प्रक्रिया पहले ही 12 दिसम्बर से प्रारम्भ की जा चुकी थी। इस प्रकार, उक्त विषय को बैठक के एजेन्डे में शामिल करना, पहले से ही किये जा चुके आवंटन पर कार्योत्तर मुहर लगवाना मात्र ही था। मेलाधिकारी ने बैठक (13 दिसम्बर 2012) में कहा कि सदस्यों के निर्णयों/विचारों पर विधिवत विचार किया जायेगा लेकिन समिति के सुझाव/निर्णय पर विचार किये जाने की कार्यवाही को लागू किये जाने का कोई विवरण उपलब्ध नहीं था।

इस प्रकार, बैठक एक औपचारिकता मात्र ही थी और समिति के गठन का उद्देश्य अधिकांशतः विफल रहा था।

शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया (मार्च 2014)।

9.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा

मेलाधिकारी के अभिलेखों की जाँच में प्रकाश में आया कि स्थानीय निधि लेखापरीक्षा, लखनऊ के लेखापरीक्षा दल द्वारा महाकुम्भ मेले की समवर्ती लेखापरीक्षा सम्पादित की जा रही थी। परन्तु, कोई लेखापरीक्षा प्रतिवेदन महाकुम्भ मेले के दौरान निर्गत नहीं किया गया था और वह प्रतीक्षित था (जुलाई 2013)। अतः कार्यालयों/एजेन्सियों के लिए यह सम्भव नहीं था कि वे मध्यावधि में सुधारात्मक/उपचारात्मक कार्यवाही कर सकें।

9.3 त्रुटि संकेतकों के प्रति संवेदनशीलता

महाकुम्भ मेले के आयोजन को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिये यह आवश्यक था कि मेलाधिकारी के स्तर पर विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न त्रुटि संकेतकों को ज्ञात करने के साथ–साथ शिकायत निवारण के लिये एक तंत्र बनाया जाए। अग्रेतर, पूर्व–अनुभवों से सीख लेने का तंत्र, क्रियान्वयन योजना का एक अंग होना था ताकि मध्यावधि सुधार प्रभावी किये जा सकें।

त्रुटि संकेतकों को जनित करने वाले कुछ स्रोत निम्नवत् थेः

- माननीय सांसदों एवं विधायकों द्वारा पूछे गये प्रश्न;
- विधान सभा के पटल पर रखा गया भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2007 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन;
- मेला प्रशासन का लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन;
- कुम्भ मेला एवं अर्द्ध–कुम्भ मेला के प्रशासकीय प्रतिवेदन;
- मेले के दौरान शिकायत बॉक्स/पंजिका मे प्राप्त शिकायतें;
- महाकुम्भ मेला हेतु स्थापित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को प्राप्त पत्र;
- मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के जाँच प्रतिवेदन;
- इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया में दिखाये गये समाचार; एवं
- महाकुम्भ मेला प्रारम्भ होने से पूर्व माननीय विधायकों द्वारा राज्य विधान सभा में पूछे गये 25 प्रश्न।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि अर्द्ध कुम्भ मेला प्रबन्धन के लेखापरीक्षा प्रस्तरों के अधिकांश निष्कर्ष महाकुम्भ मेला में भी यथावत थे। लेखापरीक्षा निष्कर्ष इंगित करता है कि महाकुम्भ मेला का आयोजन करने वाले प्राधिकारी उक्त त्रुटि संकेतकों के प्रति उदासीन थे।

9.4 साक्ष्य एवं अभिलेखीकरण का अभाव

यह न केवल आवश्यक है बल्कि अनिवार्य भी है कि सभी सरकारी लेन–देन न केवल अभिलेखित हों बल्कि पूरी तरह साक्ष्ययुक्त हों। परन्तु निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान कई कमियाँ, दोष आदि पाये गये। लोक निर्माण विभाग (छः) एवं सिंचाई विभाग (एक) के किसी भी खण्ड द्वारा कार्य पंजिका, कार्य सार पंजिका, ठेकेदार खाताबही का रखरखाव नहीं किया जा रहा था। इलाहाबाद नगर निगम द्वारा कार्य पंजिका, कार्य सार, ठेकेदार खाताबही, मार्ग–इतिहास पंजिका, मार्ग नवीनीकरण पंजिका, सम्पत्ति पंजिका एवं भण्डार पंजिका का रखरखाव नहीं किया गया था। पेड़ एवं पौधों की भण्डार पंजिका एवं औषधियों के काउण्टर से निर्गमन से सम्बन्धित पंजिका का रखरखाव क्रमशः उद्यान तथा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा था। संवीक्षा में यह भी प्रकट हुआ कि अभिलेखों के अनुचित रख–रखाव के कई उदाहरण थे जैसे–चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं मेलाधिकारी द्वारा रोकड़ बही का दैनिक/मासिक बन्दी न करना, मेलाधिकारी द्वारा रोकड़ बही में वाउचर संख्या एवं चेक संख्या अंकित न करना, फर्मों के अक्रमांकित लेटरहेडों के वाउचरों पर भुगतान करना और मेलाधिकारी द्वारा कार्यों का भुगतान कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये बिना किया जाना। अग्रेतर, अनुश्रवण समितियों की बैठकों के अभिलेख, सड़कों के नमूनों की गुणवत्ता जाँच सम्बन्धी अभिलेख एवं अन्य लेखाभिलेख जैसे निधियों की स्वीकृति, अवमुक्ति एवं उपभोग आदि कई अभिलेख या तो अभिलेखित नहीं थे या उचित ढंग से अभिलेखित नहीं किये गये थे।

9.5 संस्तुतियाँ

- *मेला कार्यों के अनुश्रवण के लिये गठित समितियाँ यह सुनिश्चित करें कि सभी स्वीकृत कार्य निर्धारित तिथि तक पूर्ण हो जाएं तथा साथ ही अभिलिखित एवं साक्ष्ययुक्त हों;*

- *मेला सलाहकार समिति की बैठक समय से आयोजित की जायें तथा मेला प्रशासन द्वारा समिति की अनुशंसाओं को लागू किया जाए; और*

- *समवर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन समय से प्रस्तुत किये जायें जिससे कि सम्बन्धित विभागों/कार्यदायी सस्थाओं द्वारा उपचारात्मक उपाय/मध्यावधि सुधार किये जा सकें।*